न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री/टीए/6255/2002/जयपुर

1– रतनलाल पुत्र छीतर (मृतक) जरिए कायममुकामः–

1/1 रेवड़ | पुत्रगण स्व.रतनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम
1/2 कृष्णकुमार | चांवडिया तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
1/3 रामावतार |
1/4 गणेश |

1/5 रेवडी पुत्री स्व0 रतनलाल पत्नि नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/6 कैलाशी पुत्री स्व0 रतनलाल पत्नि लालाराम निवासी ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1– गोविन्दा पुत्र रामला (मृतक) जरिए कायममुकामः–

1/1 बालू |
1/2 कजोड | पुगत्रण स्व0 गोविन्दा
1/3 कालूराम |
1/4 प्रभू (मृतक) पुत्र स्व0 गोविन्दा जरिए कायममुकामः–

1/4/1 शंकरीदेवी पत्नि प्रभू | समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम
1/4/2 सचिन पुत्र प्रभू | चावण्डिया, तहसील जमवारामगढ
1/4/3 रामकेश पुत्र प्रभू | जिला जयपुर।

1/4/4 सुनीता पुत्री प्रभू पत्नि राकेश जाति मीणा निवासी ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/4/5 अनिता पुत्री प्रभू पत्नि हंसराज जाति मीणा निवासी ग्राम खरखडा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

1/5 श्रीमति झूठी बेवा स्व0गोविन्दा**(मृतक नाम तर्क)**

2– खैरूलाल पुत्र बदरी निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

3– गट्या(मृतक) पुत्र बदरी

3/1 कैलाश
3/2 हंसराज
3/3 भरतलाल
3/4 बाबूलाल

पुत्रगण स्व0 गट्या निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री नरेश कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक16-6-2022

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4-9-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ने अपीलाण्ट ने एक वाद घोषणा का रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चावण्डिया तहसील जमवारामगढ़ में भूमि खसरा नंबर 605, 612, 625, 637, 673 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा खसरा नंबर 610 व 627 रकबा 5.11 बीघा स्थित है। खसरा नंबर 610 व 627 में 1/2 भाग के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भैंरूलाल व गट्या तथा 1/2 भाग के प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के पिता एवं खसरा नंबर 605 , 612, 625, 637, 673 में वादी के पिता छीतर का 1/2 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दा का 1/2 भाग के सहकृषक है । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भैंरूलाल व गट्या का 1/2 भाग में कोई विवाद नहीं है, उन्हें सहकृषक होने से पक्षकार बनाया है । वादी के पिता के स्वर्गवास बंदोबस्त से पूर्व होने से उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाबालिग होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई जबकि दोनों का 1/2-1/2 भाग है। प्रतिवादी द्वारा 1/2 भाग की खातेदारी में नाम दर्ज कराने से इंकार करने पर वाद प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के साथ वादी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित किया जावे। उक्त दावे का जबावदावा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है । उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19-11-97 से वाद वादी डिक्री कर वादी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित कर दिया ।

विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दा द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4–9–2002 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया । राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 4–9–2002 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा इकबाली जबावदावा प्रस्तुत किया तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19–11–97 को निर्णय व डिक्री पारित की । इस निर्णय की जानकारी होने पर अपील दिनांक 13–11–98 को प्रस्तुत की जो मियाद बाहर थी किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा बिना कारण अंकित किए ही देरी को माफ कर निर्णय पारित किया है । जब विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट द्वारा इकबाली जबावदावा प्रस्तुत किया जा चुका था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने जबावदावे में उल्लेखित कथनों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में ए.आई.आर. 2005 एससी पृष्ठ 2765, ए.आई.आर. 2000 एससी पृष्ठ 2740, आर.आर.डी. 1986 पृष्ठ 10, ए.आई.आर. 1982 एससी पृष्ठ 1249, आर.आर.टी. 2015(2) पृष्ठ 1089, आर.आर.टी. 2015(1) पृष्ठ 265, आर.आर.टी. 2006(2) पृष्ठ 1092, आर.आर.टी. 2013(2) पृष्ठ 1252, ए.आई.आर. 2009 एससी पृष्ठ 1927 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पैतृक नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रवर्तन में आने से पूर्व से ही यह भूमि गोविन्दा रेस्पोडेण्ट के

नाम थी । विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने भूमि को पैतृक मानकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 1984 पृष्ठ 215, ए.आई. आर. 2005 एससी पृष्ठ 3799, आर.आर.डी. 1997 पृष्ठ 68, आर.आर.टी. 2009(1) पृष्ठ 638, आर.आर.डी. 1998 पृष्ठ 487 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत घोषणा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चावण्डिया तहसील जमवारागढ़ में भूमि खसरा नंबर 605, 612, 625, 637, 673 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा खसरा नंबर 610 व 627 रकबा 5.11 बीघा स्थित है। खसरा नंबर 610 व 627 में 1/2 भाग के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भैंरूलाल व गट्या तथा 1/2 भाग के प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के पिता एवं खसरा नंबर 605 , 612, 625, 637, 673 में वादी के पिता छीतर का 1/2 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दा का 1/2 भाग के सहकृषक है । जमाबन्दी संवत 2047 से 2050 में खसरा नंबर खसरा नंबर 610 व 627 में 1/2 भाग के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भैंरूलाल व गट्या तथा 1/2 भाग के प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दा पुत्र रामला एवं खसरा नंबर 605, 612, 625, 637, 673 में गोविन्दा पुत्र रामला मीना सा0 देह खातेदार का नाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2050 में भी रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी गोविन्दा पुत्र रामला का नाम दर्ज है । अपील के साथ अपीलाण्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलगन दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें उसके द्वारा एक लिखावट व एक सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त लिखावट एवं जो सहमति पत्र दिया गया है। ये दोनों ही दस्तावेज अहम दस्तावेज है।

जहाँ तक अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में देरी का प्रश्न है इस संबंध में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित करते हुए यह अंकन किया गया है कि विचारण न्यायालय में अपीलार्थी को सुना नहीं गया था। इसलिए उसे जानकारी नहीं थी एवं तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज कर पक्षकारों को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः अपीलीय न्यायालय ने देरी को माफ कर गुणावगुण पर निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

जहाँ तक अपीलार्थी अधिवक्ता का कथन है कि आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के तहत तथ्यों की स्वीकृति के आधार पर दावा डिक्री किया गया था, जो सही था । इस संबंध में आदेश 12 नियत 6 सीपीसी मूलतः इस प्रकार है–

6. Judgment on admissions.

(1) Where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise, whether orally or in writing, the Court may at any stage of the suit, either on the application of any party or of its own motion and without waiting for the determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit, having regard to such admissions.

(2) Whenever a judgment is pronounced under sub-rule (1) a decree shall be drawn upon in accordance with the judgment and the decree shall bear the date on which the judgment was pronounced.

उक्त प्रावधानों के तहत हस्तगत प्रकरण में इस तथ्य को बल मिलता है क्योंकि जो लिखावट व सहमति पत्र क्रमशः दिनांक 14–6–1990 एवं दिनांक 22–9–92 प्रस्तुत किए गए हैं, अहम दस्तावेज हैं तथा रेस्पोडेण्ट व उसके वारिसान उक्त लिखावटों पर किए गए कथनों से पाबंद है। इस संबंध में धारा 115 साक्ष्य अधिनियम मूलतः इस प्रकार है–

“115 Estoppel. —When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing.

Illustration A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A, and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A, and A seeks to set aside the sale on the ground that, at the time of the sale, he had no title. He must not be allowed to prove his want of title."

इस प्रकार प्रस्तुत लिखत के अनुसार सम्पत्ति के पैतृक होने के तथ्य पर भी विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलार्थी/वादी ने अपने दावे के साथ परिवार का सजरा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत लिखतों के तथ्यों का निर्णय में विवेचन किया जाना आवश्यक है। हमारी सुविचारित राय में विधिसम्मत निर्णय हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय में उभय पक्षों की पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते हैं ।

8– उक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाते है। विचारण न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी/वादी को पैतृक सम्पत्ति बाबत आवश्यक दस्तावेज, साक्ष्य एवं पारिवारिक सजरा प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत लिखतों पर विवेचन करते हुए उभय पक्षों को सुनवाई कर विधिनुकूल पुनः निर्णय पारित करें । उभय पक्ष दिनांक 25–7–2022 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के यहाँ उपस्थित हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) (राजेश्वर सिंह)

सदस्य अध्यक्ष